भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4354

उत्तर देने की तारीख 29 मार्च, 2022

8 चैत्र, 1944 (शक)

उपहारों की घोषणा

4354. श्री अशोक महादेवराव नेते:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मैच फिक्सिंग की घटनाओं को देखते हुए खिलाड़ियों के लिए देश और विदेश में प्राप्त उपहारों की घोषणा करना अनिवार्य करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय दंड संहिता के विद्यमान प्रावधानों और ''धन-शोधन निवारण अधिनियम'' के प्रावधानों के अनुसार मैच फिक्सिंग के मामलों पर कार्रवाई की जाती है।

*****